FORM NO-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम—रुपनगढ, जिला—अजमेर

कमलेश बनाम कानाराम

नम्बर— 103 वर्षः—2024

किस्म मुकदमा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08..2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना—पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम नयागांव के वादग्रस्त खाता संख्या 290 के ख0न0 297 रकबा 2. 2854 है0 व खाता संख्या 6 के ख0न0 298 रकबा 2.7748 है0 भूमि में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। उक्तानुसार अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रांवली दिनांक 23.10.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
23-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी जारी होकर पत्रावली दि0 11-12-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
11-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19-2-25 को पेश हो।	
19-2-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-4-25 को पेश हो।	
2-4-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-6-25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 11:55:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.... को पेश हो ।

18-6-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 22-8-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

22-8-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 31-10-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

बार एसो. स्थगन
31-10-25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.........6-11-25...... को पेश हो ।

6-11-25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं, अतः अदम हाजरी/अदम पैरवी में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 11:55:57 IST
Reason: SelfAttested